भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1439

जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023/21 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है।

पोटाश की उपलब्धता

1439. श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अधिकतर किसानों ने बेलारूस तथा रूस से महत्वपूर्ण आपूर्ति की कमी और अधिक कीमतों के कारण पोटाश का उपयोग छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने आगामी मौसम में पोटाश का उचित मूल्य और पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए अन्य पोटाश निर्यातक देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या देश में किसानों द्वारा उपयोग के लिए पोटाश के किसी विकल्प को प्रोत्साहित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क) और (ख): पीएंडके उर्वरक विनियंत्रित क्षेत्र में आते हैं और इसलिये इन उर्वरकों को संबंधित उर्वरक कंपनियों के द्वारा आयातित किया जाता है। उर्वरक विभाग आपूर्ति की स्थिति की निगरानी करता है और रूस-यूक्रेन युद्ध के पश्चात प्रमुख फोकस अन्य संबंधित मंत्रालयों जैसे विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य विभाग आदि के परामर्श से वैकल्पिक स्रोतों से पीएंडके उर्वरकों की दीर्घकालिक व्यवस्था तथा अल्पकालिक आपूर्तियों की सुविधा प्रदान करने पर है।

भारत में उर्वरकों की उपलब्धता सहज है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

रबी 2022-23 हेतु अखिल भारतीय स्थिति (06/12/2022 तक)								
								आंकड़े एलएमटी में
क्रम.सं	**उत्पाद**	**रबी 2022-23 हेतु मौसमी आवश्यकता**	**01/10/22 से 06/12/22 तक यथानुपात आवश्यकता**	**01/10/22 के अनुसार आरंभिक स्टॉक**	**01/10/22 से 06/12/22 तक प्राप्तियां**	**01/10/22 से 06/12/22 तक उपलब्धता**	**01/10/22 से 06/12/22 तक संचयी डीबीटी बिक्री**	**06/12/22 के अनुसार अंतिम स्टॉक**
1	**यूरिया**	180.18	84.06	47.37	67.98	115.34	69.18	46.17

2	**डीएपी**	55.38	36.20	14.18	30.53	44.71	34.12	10.59
3	**एमओपी**	14.35	7.12	5.48	3.25	8.73	4.47	4.26
4	**एनपीकेएस**	56.97	27.49	23.60	24.53	48.13	24.30	23.82
5	**एसएसपी**	33.64	18.92	17.46	10.31	27.77	13.34	14.43

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने स्थिति का विश्लेषण किया है तथा पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम के तहत राजसहायता दरें इस प्रकार अधिसूचित की हैं कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का प्रभाव भारत के कृषक समुदाय पर न पड़े और भारतीय किसानों को ये उर्वरक वहनीय दरों पर उपलब्ध कराये जा सकें। वित्त वर्ष 2021-22 तथा वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एनबीएस स्कीम के तहत राजसहायता दरें निम्नानुसार हैं:

क्रम.सं.	**पोषक तत्व**	**एनबीएस (रुपए प्रति कि.ग्रा. पोषकतत्व) (01.04.2021 से 19.05.2021 तक)**	**एनबीएस (रुपए प्रति कि.ग्रा. पोषकतत्व) (20.05.2021 से 31.03.2022 तक)**	**एनबीएस (रुपए प्रति कि.ग्रा. पोषकतत्व) (1.04.2022 से 30.9.2022 तक)**	**एनबीएस (रुपए प्रति कि.ग्रा. पोषकतत्व) (1.10.2022 से 31.3.2023 तक)**
1.	एन	18.789	18.789	91.96	98.02
2.	पी	14.888	45.323	72.74	66.93
3.	के	10.116	10.116	25.31	23.65
4.	एस	2.374	2.374	6.94	6.12

उर्वरक विभाग द्वारा उठाए गए अन्य कदम निम्नानुसार हैं:-

1. उर्वरक विभाग ने मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड यूनिट-II, बांदा सागर, मध्य प्रदेश को 1,20,000 एमटी प्रति वर्ष की संस्थापित क्षमता के साथ डीएपी/एनपीके के उत्पादन की अनुमति दी।
2. उर्वरक विभाग ने पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड को जेडएसीएल गोवा संयंत्र की 2 ट्रेनों का उपयोग करके 8 एलएमटी प्रति वर्ष अतिरिक्त डीएपी/एनपीके मिश्रित उर्वरक का विनिर्माण करने की अनुमति दी।
3. आरसीएफ, थल को 5 एलएमटी की वार्षिक क्षमता के साथ एक नये डीएपी/एनपीके संयंत्र की अनुमति दी गई है और एफएसीटी, कोच्चि ने भी 5.5 एलएमटी की वार्षिक क्षमता के साथ एक डीएपी/एनपीके संयंत्र की योजना बनाई है।
4. 25.10.2021 से 31.3.2022 तक डीएपी के उत्पादन/आयात पर 'नो प्रॉफिट/नो लॉस' आधार पर 8000 रु. की सीमा के साथ अतिरिक्त लागत प्रदान की गई है।
5. पीडीएम अथवा शीरे से प्राप्त पोटाश (0-0-14.5-0) को एनबीएस स्कीम के तहत शामिल किया गया है।
6. एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से विनिर्मित उर्वरक है, पर खरीफ और रबी 2022 के लिए मालभाड़ा राजसहायता लागू की गई है।
7. खान मंत्रालय, जीएसआई, एमईसीएल, फैगमिल और संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भारत में डीएपी और अन्य उर्वरकों के कच्चे माल के लिए खनिजों की खोज एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) और (घ): पीएंडके उर्वरक विनियंत्रित क्षेत्र में आते हैं और इसलिये इन उर्वरकों को संबंधित उर्वरक कंपनियों के द्वारा आयातित किया जाता है। उर्वरक विभाग आपूर्ति की स्थिति की निगरानी करता है और अन्य संबंधित मंत्रालयों जैसे विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य विभाग आदि के परामर्श से वैकल्पिक स्रोतों से पीएंडके उर्वरकों की दीर्घकालिक व्यवस्था तथा अल्पकालिक आपूर्तियों की सुविधा प्रदान करता है।

(ङ.): पीडीएम अथवा शीरे से प्राप्त पोटाश (0-0-14.5-0) को एनबीएस स्कीम के तहत शामिल किया गया है। पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम के तहत शीरे से प्राप्त पोटाश से संबंधित दिशा निर्देशों को 12.7.2022 को जारी किया गया है।

****